

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना - जिला (म.प्र.)

निराश्रित/निर्धन विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता सामूहिक विवाह हेतु

वधु का फोटो

सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने हेतु आवेदन-पत्र

1. निराश्रित निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता का नाम :
- और पूर्ण पता जिसके विवाह हेतु आवेदन किया जा :
- रहा है। :
- (कन्या/विधवा/परित्यक्ता तीनों में से एक पर ✓ :
- का निशान लगावें) :
2. कन्या/विधवा/परित्यक्ता के माता एवं पिता का :
- नाम तथा पूर्ण पता :
3. जन्मतिथि/उम्र :
4. जाति :
5. निवास का स्थायी पूर्ण पता :
- :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. कृषि भूमि या आय का अन्य साधन :
- (यदि कोई हो) :
8. वार्षिक आय का विवरण :
9. कन्या/विधवा/परित्यक्ता से आवेदक का नाता (संबंध):
10. बी. पी. एल. क्रमांक (यदि है तो) :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

डाक पता

दिनांक

संलग्न करें - राशन कार्ड/अंक सूची/जन्म प्रमाण-पत्र/मतदाता परिचय-पत्र

वर का फोटो

वर की व्यक्तिगत जानकारी

1. वर/लड़के का नाम :
2. पिता/पालक का नाम :
3. जन्मतिथि/उम्र :
4. शैक्षणिक योग्यता :
5. जाति :
6. निवास का स्थायी पूर्ण पता :
- :
- :
- :

संलग्न करें - राशन कार्ड/अंक सूची/जन्म प्रमाण-पत्र/मतदाता परिचय-पत्र

विवाह हेतु सहमति-पत्र

हम वर/वधु के माता-पिता/पालक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत होने वाले सर्वधर्म सामूहिक विवाह में दिनांक को विवाह कराने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

वर/लड़के के माता-पिता/पालक का नाम

वधु/लड़की के माता-पिता/पालक नाम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पूर्ण पता

पूर्ण पता

.....

.....